माननीय न्यायमूर्ति डॉ. भारत भूषण पारसून के समक्ष

हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम

पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण- सह-श्रम न्यायालय और अन्य - उत्तरदाता

1992 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10176
19 दिसंबर 2013

भारत का संविधान, 1950- वैधानिक प्राधिकरण- स्वायत्त चरित्र - वेतनमान - सरकार ने श्रम न्यायालय का संदर्भ दिया - क्या याचिकाकर्ता के कर्मचारी 1.1.1981 के बजाय 1.4.1979 से संशोधित वेतनमान के हकदार हैं - श्रम न्यायालय ने निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता फेडरेशन के कर्मचारी हकदार थे 1.4.1979 से वेतनमान मिलने के - याचिकाकर्ता, एक वैधानिक निकाय, चरित्र में स्वायत्त, श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी - याचिकाकर्ता फेडरेशन स्वतंत्र, स्वायत्त और सरकार से अलग इकाई है - रिट को अनुमति - अभिनिर्धारित, याचिकाकर्ता फेडरेशन न तो एक सरकारी विभाग है और न ही इसे ऐसे किसी विभाग के बराबर किया जा सकता हैं - किसी भी वैधानिक निकाय, प्राधिकरण या स्वायत्त इकाई को वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में किसी विशेष तरीके से कोई विशेष निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है- रिट को अनुमति।

अभिनिर्धारित कि याचिकाकर्ता-फेडरेशन न तो एक सरकारी विभाग है और न ही इसकी तुलना सरकार के किसी ऐसे विभाग से की जा सकती है।

(पैरा 5)

अग्रसर अभिनिर्धारित, कि जब विशेष वेतनमान देने का विकल्प वैधानिक निकायों के पास होता है, तो वे तारीखें जिनसे उन विशेष वेतनमानों को लागू किया जाना है, भी उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

(पैरा 7)

अग्रसर अभिनिर्धारित, कि उपरोक्त की गई चर्चा से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि किसी भी वैधानिक निकाय, प्राधिकरण या स्वायत्त इकाई को वेतन आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में किसी विशेष तरीके से कोई विशेष निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसी अनुशंसा को किसी भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता-फेडरेशन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान 1.1.1981 से लागू किया गया था, न कि 1.4.1979 से, श्रम न्यायालय किसी विशेष तिथि से संशोधित वेतनमान लागू करने के लिए याचिकाकर्ता-फेडरेशन पर अपना निर्णय नहीं थोप सकता था। राजकोषीय मामले सहित कई विचार हैं जिन पर अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना है। ऐसे राजकोषीय मामले के लिए, अधिकरण या न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जैसा कि पहले उल्लिखित निर्णय-विधि में निर्धारित किया था।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, के.के.गुप्ता।

उत्तरदाता संख्या 2 के लिए अधिवक्ता बी.एस.सैनी।

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. भारत भूषण पारसून :

(1) औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, गुड़गांव (इसके बाद श्रम न्यायालय के रूप में संदर्भित) के 22.12.1991 के पंचाट(अनुलग्नक पी-6) को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता-फ़ेडरेशन का दावा है की इसके बावजूद की याचिकाकर्ता पर सरकार का कोई भी नियंत्रण, इसे एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में और इसके स्वायत्त चरित्र को बनाए रखते हुए अस्तित्व में लाया गया है, इसलिए इसे सरकारी

कर्मचारियों की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अन्य बातों के अलावा, सरकार द्वारा संदर्भ आदेश दिनांक 6.5.1983 (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से अधिकरण को भेजा गया मामला इस प्रकार था:

> "क्या कर्मचारी दिनांक 1.1.81 के बजाय दिनांक 1.4.79 से संशोधित वेतनमान के अनुदान के हकदार हैं? यदि हां, तो किस ब्यौरे के साथ? "

(2) संदर्भित औद्योगिक विवाद का निपटारा करते हुए, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि याचिकाकर्ता-फ़ेडरेशन के कर्मचारी 1.1.1981 के बजाय 1.4.1979 से संशोधित वेतनमान के हकदार थे। यह निर्णय चुनौती के अधीन है। यह दावा करते हुए कि सरकार द्वारा वेतनमान में संशोधन याचिकाकर्ता-फ़ेडरेशन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह स्वतंत्र, स्वायत्त और सरकार से पूरी तरह से अलग इकाई है और अपने निदेशक मंडल के माध्यम से अलग और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है और इसीलिए सभी श्रमिकों के दावे का विरोध किया जाता है।

(3) हालांकि, उत्तरदाता नंबर 2 के अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि एक बार नए वेतनमान जारी करने के बाद, याचिकाकर्ता-फ़ेडरेशन/ नियोक्ता उस तारीख से इसे जारी करने से इनकार नहीं कर सकता था जब कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे नए वेतनमान जारी किए थे और ऐसे वेतनमान जारी करने के लिए कोई मनमानी तारीख तय नहीं की जा सकती थी।

(4) पेपर बुक को पढ़ते समय पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनवाई की सुविधा प्रदान की गई है।

(5) याचिकाकर्ता-फ़ेडरेशन न तो कोई सरकारी विभाग है और न ही उसकी तुलना सरकार के किसी ऐसे विभाग से की जा सकती है। यह प्रस्ताव **पंजाब राज्य और अन्य बनाम राजा राम और अन्य (एआईआर**

1981 एससी 1694) द्वारा समर्थित और समर्थित है, जिसमें हालांकि भारतीय खाद्य निगम को एक कंपनी माना गया था, लेकिन आगे यह भी निर्धारित किया कि यह एक सरकारी विभाग नहीं था। इसी तरह, **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड और अन्य (एआईआर 1998 एससी 418)** में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक विभाग नहीं माना गया। वैधानिक निकायों और स्वायत्त संस्थाओं का अस्तित्व, अलग और विशिष्ट है और किसी भी राज्य या भारत संघ की सरकार से अलग है। केवल इसीलिए कि जो ऐसी किसी सरकार के क्षेत्र में स्थित हैं या ऐसी सरकारों से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें ऐसी सरकारों की तर्ज पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और वे अपने अलग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। **2003 के सीडब्ल्यूपी नंबर 13504 में खड़क सिंह और अन्य बनाम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जगाधरी और अन्य के मामले में 23.1.2006 को निर्णय दिया गया था**, तब इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जगाधरी और अन्य के कर्मचारी 300 दिनों की छुट्टी नकदीकरण के हकदार नहीं थे जो केवल लागू है सरकारी कर्मचारियों पर। निर्धारित किया कि केवल इसलिए कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों द्वारा समान वेतनमान दिया गया था, अन्य सभी समान लाभ नहीं दिए जाएंगे। इस निर्णय का पालन **2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15523 हरबंस लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में 8.8.2008 को किया गया था।** केवल इसलिए कि किसी भी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधित किया गया है, उक्त राज्य के भीतर मौजूद स्वायत्त निकायों के कर्मचारी समान वेतनमान के लिए समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि वेतन आयोग की अनुशंसा भी आमतौर पर निर्देशिका होती हैं और इन्हें अधिदेश की प्रकृति में नहीं लिया जा सकता। **भारत संघ बनाम अरुण ज्योति कुंडू और अन्य (3) (2007) 7 एससीसी 472)** मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि कोई भी न्यायालय या अधिकरण सरकार को अनुशंसा को स्वीकार करने और उस संबंध में अनुशंसित तिथि से इसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

(6) इसी तरह, **2012 के एलपीए नंबर 270 में पंजाब राज्य और अन्य बनाम बलबीर सिंह और अन्य, जिसका निर्णय 14.8.2012 को**

लिया गया, में कला और शिल्प शिक्षकों का समूह अर्थात किसी अन्य समूह की तुलना में अलग-अलग वेतनमान प्रदान करने वाली एक विशेष अधिसूचना को बरकरार रखा और एकल पीठ का निर्णय, जिसने उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था, उलट दिया गया था। यह इस प्रकार है कि अलग-अलग तिथियों से अलग-अलग वेतनमान लागू करना भी संबंधित अधिकारियों के अधिकार में है।

(7) जब विशेष वेतनमान देने का विकल्प वैधानिक निकायों के पास होता है, तो वे तारीखें जिनसे उन विशेष वेतनमानों को लागू किया जाना है, भी उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुभाष कुमार चटर्जी (2010) 11 एससीसी 694)** के मामले में, यह निर्धारित किया गया कि अदालतें एक विशेष वेतनमान देने की घोषणा जारी नहीं कर सकती हैं, जिसका निहितार्थ वेतन निर्धारण और समानता के निर्धारण के रूप में किसी विशेष तिथि से लागू होना भी होगा जो कि कर्तव्य और उत्तरदायित्व एक जटिल मामला है जिससे निपटना कार्यपालिका का काम है, न कि अदालतों का। संक्षेप में, यह निर्धारित किया गया कि न्यायालय किसी भी राज्य या अधिकारियों को वेतन आयोग की अनुशंसा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कुछ इसी तर्ज पर 14.8.1998 को **1998 की सिविल अपील संख्या 4053-4054 में सार्वजनिक निर्देश निदेशक, पंजाब बनाम महेश चंदर और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है।

(8) उपरोक्त की गई चर्चा से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि किसी भी वैधानिक निकाय, प्राधिकरण या स्वायत्त इकाई को वेतन आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में किसी विशेष तरीके से कोई विशेष निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसी अनुशंसा को किसी भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता- फेडरेशन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान 1.1.1981 से लागू किया गया था, न कि 1.4.1979 से, श्रम न्यायालय किसी विशेष तिथि से संशोधित वेतनमान लागू करने के लिए याचिकाकर्ता-फेडरेशन पर अपना

निर्णय नहीं थोप सकता था। राजकोषीय मामले सहित कई विचार हैं जिन पर अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना है। ऐसे राजकोषीय मामले के लिए, अधिकरण या न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जैसा कि पहले उल्लिखित निर्णय-विधि में निर्धारित किया था।

(9) क्रमिक रूप से, उपरोक्त सीमा तक, श्रम न्यायालय का विवाद्यक संख्या 4 पर निष्कर्ष कानून के विपरीत होने के कारण उलट दिया जाता है। परिणामस्वरूप, इस विवाद्यक का उत्तर याचिकाकर्ता-फ़ेडरेशन के पक्ष में दिया जाता है। बाक़ी पंचाट की पुष्टि की जाती हैं।

(10) याचिका केवल ऊपर बताई गई सीमा तक ही स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर

प्रिशक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़